# फर्द अहकाम

आनन्दराम बनाम रामनारायण

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर [illegible] प्रथम

केस संख्या [illegible] 55/17

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशे |
|---|---|---|---|
| | 30/5/25 | पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर हैं। प्रार्थी/वादी द्वारा पेश प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सी०पी०सी पर उभयपक्षों की बहस के दौरान जाहिर तथ्यों एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड के अवलोकन पर हम पाते हैं कि प्रार्थी/वादी ने सशपथ कथन किया है कि भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं.-1 द्वारा अपने जीवनकाल में पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि का हस्तान्तरण बजरिये दानपत्रों व [illegible] पत्रों द्वारा किया, जो वादी/प्रार्थी के हि[illegible] | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:06:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर [illegible] प्रथम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम
मानाराम बनाम रामनारायण
संख्या Case 44/17

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 30/4/25 | के विरुद्ध प्रभावहीन व शून्य होने से वादी/प्रार्थी द्वारा उक्त विक्रय-पत्रों को निरस्त करवाए जाने बाबत सक्षम सिविल न्यायालय में वाद नं० 130/2018 उनवानी मानाराम व रामनारायण एवं वाद सं. 05/2016 पेश किया, जो आज भी लम्बित है। अतः वाद-बहुलता को रोकने के लिए एवं उभयपक्षकारान हेतु उचित न्याय निर्णयन को देखते हुए प्रार्थी द्वारा पेश प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा-10 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं इस न्यायालय के समक्ष लम्बित हस्तगत वाद | |

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:06:26 IST
Reason: SelfAttested

# फर्द अहकाम

मानाराम बनाम रामनारायण

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या Civil - 44/17

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से |
|---|---|---|
| | 30/4/25 | सं० 44/2017 उनवानी मानाराम बनाम रामनारायण पर कार्यवाही को, सिविल न्यायालय में लम्बित वादों के अंतिम निर्णय तक रोकी जाती है। साथ ही, इस वाद-पत्र के साथ अन्य आनुषंगिक पत्रावलियों पर भी क्रियान्विति रोकी जाती है। निर्णय आज दिनांक 30/4/25 को सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:06:26 IST
Reason: Self-attested